न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – ओमप्रकाश (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 169 / 2024
दायर दिनांक – 20.01.2025

उनवान

1. हरिकिशन पिता उगमा कीर नि. ईटडिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।

———(प्रार्थी)

बनाम

1. लादूलाल पिता हजारी कीर नि. ईटडिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
2. सुगना पिता रामेश्वर कीर नि. ईटडिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
3. सोहन पिता हजारी कीर नि. ईटडिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
4. गमान पिता हजारी कीर नि. ईटडिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
5. छोटी पुत्री हजारी कीर नि. ईटडिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
6. प्रेम पुत्री हजारी कीर नि. ईटडिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
7. भूरी पुत्री हजारी कीर नि. ईटडिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
8. महावीर पिता उगमा कीर नि. ईटडिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
9. लादी पुत्री उगमा कीर नि. ईटडिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
10. शांति पुत्री हजारी कीर नि. ईटडिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।

———(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–
प्रार्थी अधिवक्ता—— श्री योगेश कुमार आगाल

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

दिनांक – 13.08.2025

आदेश

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम ईटडिया पटवार मण्डल ईटडिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 443 के आ.न. 100, 102, 105, 106 कुल किता 04 कुल रकबा 0.9300 हैक्टयर** एवं **खतौनी संख्या 442 के आ.न. 99 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0400 हैक्टयर** भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी का अध्ययन करने पर न्यायालय द्वारा पाया गया है कि उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी एकल खातेदार नहीं है, अर्थात उक्त शामलाती आराजी है, शामलाती आराजी में जब तक विधिवत आराजी का विभाजन नही होता है तब तक केवल प्रार्थी के हिस्से में आने वाली जमीन की पत्थरगढी संभव नही है। शेष खातेदारान का भी हित शामलाती जमीन में निहित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण अस्वीकार किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक **13.08.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकलां, जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
फुलिया कलां, जिला भीलवाडा